Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218–2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021 (PAUSA 8, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

संख्या 69/जीएसटी–2.–हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, तालिका में,–

(i) क्रम संख्या 3 के सामने,–

(1) मद (iii) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में,"संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी संस्था"शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण "शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(2) मद (vi) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्षमें,"किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएंगे;

(3) मद (vii) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी संस्था "शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(4) मद (ix) और (x) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्षक में,"संघ राज्य क्षेत्र किसी स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण"शब्द को प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(5) मद (iii), (vi), (vii), (ix) और (x) के सामने,''शर्त'' शीर्ष तथा खाना (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 26 के सामने, खाना (3) में,'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, मद (i) में, उप–मद (ख) में, "वस्त्र तथा वस्त्र उत्पाद" शब्दोंके पश्चात्, '',उपरोक्त वस्त्र तथा वस्त्र उत्पादों की रंगाई या छपाई के माध्यम से सेवाओं को छोड़कर,"शब्द तथा चिह्न जोड़े जाएंगे।

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th December, 2021

No. 69/GST-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(i) against serial number 3,-

(1) in column (3),in the heading "Description of Service", in items (iii),(vi),(ix) and (x),for the words "Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;

(2) in column (3),in the heading "Description of Service", in item (vii),for the words "Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;

(3) in column (5),in the heading "Condition", the entries against items (iii),(vi),(vii),(ix) and (x), shall be omitted;

(ii) against serial number 26,in column (3), in the heading "Description of Service",in item (i), in clause (b), after the words, numbers, figures and brackets "Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)" the words "except services by way of dyeing or printing of the said textile and textile products" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.